दिनांक 17–10–2022 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 17–10–2022 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियाशील नल संयोजन, भूमि उपलब्धता एवं डी0पी0आर0 अनुमोदन की अध्यावधिक प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में अपर आयुक्त (प्रशा0), संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली मण्डल के साथ निम्न विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बरेली / पीलीभीत।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शाहजहॉपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बदायूं।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे0वी0, पीलीभीत।
5. ए0जी0एम0, मै0 एन0सी0सी0 लि0, शाहजहॉपुर।
6. ए0जी0एम0, मै0 एन0सी0सी0 लि0, बरेली।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे0वी0, बदायूं।

संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के कार्यालय पत्र संख्या– 1310 / वि0बैठक / 2022–23, दिनांक 12–10–2022 के द्वारा श्री राजीव त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ स्वंय बैठक में प्रतिभाग किये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु अधीक्षण अभियन्ता न तो स्वयं बैठक में उपस्थित हुए और न ही बैठक में उपस्थिति से छुट दिये जाने की अनुमति प्राप्त की गयी। पूर्व में भी श्री त्यागी मण्डल स्तर पर आयोजित बैठकों से बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं। श्री त्यागी द्वारा विभागीय कार्यो में रूचि न लिये जाने के कारण जल जीवन जैसे शासन के प्राथमिकता कार्यक्रम में मण्डल की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये :–

1– क्रियाशील नल–जल संयोजन (FHTC) :–

क्रियाशील नल–जल संयोजन (FHTC) के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आलोच्य अवधि तक मण्डल की प्रगति 37.56 प्रतिशत है। जनपद बरेली के 39216 नग गृह संयोजन पूर्ण (36.46%), पीलीभीत के 17811 नग गृह संयोजन पूर्ण (25.43%), बदायूं के 29263 नग गृह संयोजन पूर्ण (44.06%) एवं शाहजहॉपुर के 46390 नग गृह संयोजन पूर्ण (42.48%) कराये गये है। मण्डल में जनपद पीलीभीत की सबसे खराब प्रगति पायी गई। उपस्थित कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में जल भराव हो जाने के कारण खुदाई का कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिससे गृह संयोजन की प्रगति बाधित हुई है। निर्देशित किया गया कि सभी जनपदों में टीमें बढ़ाई जाये तथा प्रतिदिन लक्ष्यानुसार FHTC संयोजन पूर्ण कराये जायें।

2– भूमि उपलब्धता :-

योजनान्तर्गत भूमि उपलब्धता की समीक्षा में पाया गया कि जनपद बरेली में 1596 (89.06%), पीलीभीत में 1139 (93.81%), बदायूं में 1320(91.28%) एवं शाहजहॉपुर में 1990(97.88%) ग्रामों में भूमि प्राप्त हो गयी है। फेज 2 के अन्तर्गत 81 एवं फेज 3 के अन्तर्गत 357 मण्डल में कुल 438 गांवों में अभी भी भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। मण्डल में सबसे कम प्रगति जनपद बरेली की है। अधीशासी अभियन्ता, जल निगम द्वा अवगत कराया गया कि विवादित भूमि एवं मानक के अनुसार भूमि प्राप्त न होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित हो रही है। निर्देश दिये गये कि अवशेष भूमि हेतु ग्रामों की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध करायें तथा समन्वय स्थापित कर शीघ्र शत– प्रतिशत ग्रामों में भूमि प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाये। अनुपलब्ध भूमि की जनपदवार / तहसीलवार सूची मण्डल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त को भी उपलब्ध करायी जाये।

P.N.New/1

3– DWSM में DPR का अनुमोदन:-

जनपद बदायूँ में 1419 ग्राम लक्षित किये गये हैं, जिसमें से 1252 ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई गयी है। उपलब्ध भूमि के सापेक्ष 707 DPR तैयार की गयी हैं, जिसमें से 496 ग्रामों की DPR का अनुमोदन DWSM में किया गया है, जो उपलब्ध कराई गयी भूमि का 56 प्रतिशत है।

इसी प्रकार जनपद बरेली में 1809 ग्राम लक्षित हैं, जिसमें से 1621 में भूमि प्राप्त करा दी गयी है। उपलब्ध भूमि के सापेक्ष 1377 DPR तैयार की गयी हैं, जिसमें से 1232 ग्रामों की DPR का अनुमोदन DWSM में किया गया है, जो उपलब्ध कराई गयी भूमि का 85 प्रतिशत है।

जनपद पीलीभीत में 1185 ग्राम लक्षित हैं, जिसमें से 1100 ग्रामों में भूमि का आवंटन किया गया है। उपलब्ध भूमि के सापेक्ष 749 DPR तैयार की गयी हैं, जिसमें से 663 ग्रामों की DPR का अनुमोदन DWSM में किया गया है, जो उपलब्ध कराई गयी भूमि का 68 प्रतिशत है।

जनपद शाहजहाँपुर में 1918 ग्राम लक्षित किये गये हैं, जिसमें से 1643 ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई गयी है। उपलब्ध भूमि के सापेक्ष 980 DPR तैयार की गयी हैं, जिसमें से 877 ग्रामों की DPR का अनुमोदन DWSM में किया गया है, जो उपलब्ध कराई गयी भूमि का 60 प्रतिशत है।

निर्देशित किया गया कि उपलब्ध भूमि के सापेक्ष तत्काल शत–प्रतिशत DPR बनाकर DWSM से अनुमोदन कराकर स्वीकृति हेतु राज्य स्तर को प्रेषित किये जायें।

(कार्यवाही– कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता / समस्त अधिशासी अभियन्ता, बरेली मण्डल)

अन्त में सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(संयुक्ता समद्दार)
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

<u>**कार्यालय आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।**</u>

M-07

पत्रॉक : 1950 / वि0बैठक / जल निगम (ग्रा0) / 2022–23 / 49 दिनांक : 22–10–2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी0, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम (ग्रामीण), 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, बरेली मण्डल।
6. संयुक्त विकास आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बरेली मण्डल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
9. अधीशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बरेली / बदायूँ / पीलीभीत एवं शाहजहाँपुर।

आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।